उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति विभाग

अनुभाग–३

प्रकीर्ण

२१ जुलाई, १९७३ ई०

सं० २२(१) १९७२/नियुक्ति–३––संविधान के अनुच्छेद ३०९ के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :––

उत्तर प्रदेश श्रेणी दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, १९७३ ई०

१––संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ––(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश श्रेणी दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, १९७३ कहलायेगी ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

२––लागू होने की सीमा––यह नियमावली उत्तर प्रदेश की श्रेणी दो की ऐसी समस्त सेवाओं पर, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं, लागू होगी।

३––इस नियमावली का अधिभावी प्रभाव––इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे भलेही इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी नियम या आदेश में इससे कोई भी असंगत बात क्यों न हो।

४––परिभाषा––जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:––

(क) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ख) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से घोषित किसी प्राधिकारी से है;

(ग) "लघु शास्ति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है:––

(१) निन्दा ;

(२) वेतन वृद्धि का रोका जाना जिसके अन्तर्गत दक्षता रोध पर रुकाव भी है; अथवा

(३) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णत: या अंशत: वेतन से वसूल किया जाना।

५––शक्ति का प्रतिनिधायन––विभागाध्यक्षों के अधीन सेवारत उत्तर प्रदेश की श्रेणी दो के अधिकारियों के संबंध में राज्यपाल द्वारा लघु शास्तियां आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग एतद्पश्चात्, राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष भी कर सकेंगे ।

आज्ञा से,
ज्ञान प्रकाश,
मुख्य सचिव ।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी० एस० यू० पी०––६ सा० (नियुक्ति)––२३–८–७३––६,५००––(मोनो) ।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

APPOINTMENT SECTION—3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 22/1/72-Apptt.-3,** dated July 21, 1973 :

No. 22/1/72-Apptt.-3

July 21, 1973

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH CLASS II SERVICES (IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS) RULES, 1973

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973.

(2) They shall come into force at once.

2. **Extent of application.**—These rules shall apply to all Class II Services of Uttar Pradesh, whose appointing authority is the Governor.

3. **Over-riding effect of these Rules.**—The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any rule or order in force immediately before the commencement of these rules.

4. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(*a*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(*b*) "Head of department" means an authority specially declared as such by the Governor ;

(*c*) "Minor punishments" means—

(i) censure,

(ii) withholding of increments including stoppage at efficiency bar, or

(iii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders.

5. **Delegation of power.**—The power of the Governor to inflict minor punishments in respect of officers belonging to Class II Services of Uttar Pradesh and serving under the Heads of Departments may, subject to the control of the Governor, be exercised also by the respective Head of department.

By order,
GIAN PRAKASH,
Mukhya Sachiv.

PSUp—6 Genl(Apptt.)—23—8—73—6,500(M.)